

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
स०-८ डी०(बजट आवंटन- 2251)-13-10/2016- 343

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,

—सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,  
बिहार पटना।

पटना, दिनांक- 30/03/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अंतर्गत मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251-  
सचिवालय- सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण  
विभाग अंतर्गत के संधारणार्थ अन्य भत्ता ईकाई मद में कुल ₹70,000/- (सत्तर हजार ₹0) मात्र  
राशि  
का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय  
स्वीकृत्यादेश संख्या- 336 दिनांक-24.03.2026 के द्वारा "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवायें  
-090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विपत्र कोड-  
44-2251000900023 के तहत 0107-अन्य भत्ता ईकाई मद में ₹70,000/- (सत्तर हजार ₹0) मात्र का  
पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपबंध किया गया है।

2-उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यालय के लिये 0107-अन्य  
भत्ता ईकाई मद में ₹70,000/- (सत्तर हजार ₹0) मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित किया जाता है।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 एवं 235/वि०,  
दिनांक-01.04.2025 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया  
जायेगा।

4-आवंटित राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिवद्ध के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्य शीर्ष  
"2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय (मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु०  
जनजाति कल्याण विभाग-0107-अन्य भत्ता ईकाई विपत्र कोड- 44-2251000900023 में विकलनीय होगा।

5- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत  
माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

6- आवंटित राशि का प्रत्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.26 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी  
पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- स०स०-८ डी०(बजट आवंटन- 2251)-13-10/2016-343 पटना, दिनांक 30/03/2026  
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन,  
पटना /अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, सचिव कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण  
विभाग/प्रशाखा पदा० 2जी०/6जी०/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी  
प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।